नवभारत

। संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी । प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी ।

क्या अपनी प्रासंगिकता खो चुका है संयुक्त राष्ट्र संघ?

द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह तबाही के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि दुनिया को भविष्य के युद्धों से बचाया जा सके और वैश्विक शांति, सहयोग तथा कूटनीति को मजबूत बनाया जा सके. उस समय यह संस्था मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में उभरी थी. लेकिन आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रश्न तेजी से उठ रहा है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता खोता जा रहा है ?

पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं पर नजर डालें तो यह चिंता निराधार नहीं लगती. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब चौथे वर्ष में प्रवेश करने वाला है. यूरोप की धरती पर चल रहा यह संघर्ष हजारों लोगों की जान ले चुका है और लाखों लोगों को विस्थापित कर चुका है. इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाने में असफल दिखाई देता है. इसी प्रकार पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव भी विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा बन गया है. गाजा से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक अस्थिरता का माहौल है. ईरान और इजरायल के बीच सीधे सैन्य टकराव ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तक पैदा कर दी है. संयुक्त राष्ट्र इस पूरे संकट में केवल अपील और चिंता जताने तक सीमित दिखाई देता है.

एशिया में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है. चीन लगातार ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने की धमकी दे रहा है. दक्षिण चीन सागर में उसकी आक्रामक गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय कानूनों को चुनौती देती रही हैं. वहीं पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर भी समय-समय पर तनाव और झड़पें होती रहती हैं. इन तमाम घटनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र की भूमिका एक प्रभावी मध्यस्थ के बजाय एक औपचारिक मंच जैसी दिखाई देती है. इस स्थिति के पीछे संयुक्त राष्ट्र की संरचनात्मक कमजोरियां भी जिम्मेदार हैं. सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा परिषद की बनावट को लेकर उठता है. पांच स्थायी सदस्यों, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, को मिली वीटो शक्ति अक्सर वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को बंधक बना देती है. जब इन शक्तिशाली देशों के हित टकराते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और निर्णय कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं.

दूसरी बड़ी कमजोरी यह है कि संयुक्त राष्ट्र के पास अपने निर्णयों को लागू कराने के लिए कोई स्वतंत्र सैन्य शक्ति नहीं है. शांति मिशनों के लिए भी उसे सदस्य देशों की सेनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है. यही कारण है कि कई बार उसके प्रस्तावों और अपीलों को संबंधित देश नजरअंदाज कर देते हैं. बहरहाल,संयुक्त राष्ट्र को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है, तो उसे गंभीर सुधारों की दिशा में कदम उठाने होंगे. सुरक्षा परिषद का विस्तार, उभरती शक्तियों को प्रतिनिधित्व, और वीटो शक्ति की समीक्षा जैसे कदम अब समय की मांग बन चुके हैं.

भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों की भागीदारी से ही यह संस्था वास्तव में अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक बन सकती है. कुल मिलाकर दुनिया आज फिर एक अस्थिर दौर से गुजर रही है. ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. यदि यह संस्था शक्तिशाली देशों के हितों से ऊपर उठकर मानवता के हित में निर्णायक कदम उठाने में सफल होती है, तो ही वह अपनी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को बनाए रख पाएगी. अन्यथा इतिहास यह याद रखेगा कि जब दुनिया को सबसे ज्यादा एक मजबूत वैश्विक संस्था की जरूरत थी, तब वह निर्णायक भूमिका निभाने में असफल रही.

स्वतंत्र-निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन

ओजस्कर पाण्डेय

बच्चों पर यौन उत्पीड़न और शोषण से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष कानून, पाक्सो अधिनियम, 2012 बनाया है. उक्त अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के हर मान्यता प्राप्त अपराध को अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कठोर दंड निर्धारित करके दंडित करता है. न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की अलग-अलग प्रगति है. पीड़ित की चिकित्सा जांच यथासंभव कम से कम परेशानी के साथ की जाएगी. पाक्सो संशोधन अधिनियम, 2019 को मृत्युदंड तक की सजा बढ़ाने और बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था. हालाँकि, संशोधन मनमाना और अस्पष्ट लगता है. संशोधन अधिनियम, 2019 के कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो मनमाने और अस्पष्ट प्रकृति के लगते हैं.

पाक्सो अधिनियम की धारा 4(2), जिसे पाक्सो संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा शामिल किया गया था, एक ऐसे वर्गीकरण का प्रावधान करता है जो अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. अनुच्छेद 14 कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है. यह वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है लेकिन व्यक्तियों या चीजों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है. अनवर अली सरकार मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित इस परीक्षण को दोहराया गया है और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के मुद्दे से निपटने वाले बाद के मामलों में न्यायालय द्वारा लागू किया गया है. उदाहरण के लिए, डीएस नाकारा बनाम भारत संघ में एक निश्चित तिथि से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के बीच जो वर्गीकरण किया गया था, उसे न्यायालय ने अनुचित माना और इसे मनमाना माना. इस प्रकार, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप, केंद्रीय सेवा नियमों के नियम 34 को अलग रखा गया. 2019 में पाक्सो अधिनियम पारित होने से पहले, पाक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार यौन उत्पीड़न करने की सजा सात साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना थी. 2019 के अधिनियम ने धारा 4(1) को सम्मिलित करके सजा की न्यूनतम अवधि को सात से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया और धारा 4 में दो उप-खंड भी सम्मिलित किए गए- धारा 4(2) और 4(3).

अब, अधिनियम द्वारा जोड़ा गया नया उप-खंड (2) उन अपराधियों के लिए सज़ा का प्रावधान करता है जो सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर यौन उत्पीड़न करते हैं. यह ध्यान देने योग्य है कि इस नए सम्मिलित खंड के तहत कारावास की न्यूनतम अवधि (बीस वर्ष) भी बढ़ा दी गई है. इस उप-खंड (2) को शामिल करके, विधानमंडल सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे और सोलह वर्ष से अधिक लेकिन अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चे के बीच वर्गीकरण करता है. हालाँकि, विधानमंडल ने इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बच्चे को अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति% के रूप में परिभाषित किया है. इस प्रकार, उपरोक्त वर्गीकरण एक उचित वर्गीकरण होना चाहिए क्योंकि इसे एक ही समूह, यानी बच्चों के भीतर बनाया गया है. इस वर्गीकरण में अंतर अस्पष्ट है, क्योंकि परिपक्वता कारक की आयु निर्धारित करने में अनिश्चितता है. उदाहरण के लिए, सत्रह वर्षीय बच्चे में पंद्रह वर्षीय बच्चे के समान परिपक्वता हो सकती है और कुछ मामलों में, यह इसके विपरीत भी हो सकता है. कभी-कभी, कुछ उन्नीस वर्ष की आयु में ही परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कुछ सत्रह वर्ष की आयु में ही परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं. पंद्रह वर्षीय बच्चा उन्नीस वर्षीय बच्चे जैसा दिखाई दे सकता है.

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, एआईआर 1952 एससी 75.एआईआर 1983 एससी 130. धारा 4(1)-जो कोई भी प्रवेशात्मक यौन हमला करता है, उसे कम से कम दस वर्ष की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा यह ध्यान देने योग्य है कि इस विभेद का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए.

> धारा 29 में एक्टस रीउस को भी मान लिया गया है जो मूल रूप से प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है. धारा 30 के तहत मन :स्थिति की धारणा असंवैधानिक है. हालाँकि कई अन्य अधिनियमों में भी इसी तरह के प्रावधान हैं, लेकिन ऐसे अधिनियम ज्यादातर सफेदपोश अपराधों या ऐसे अपराधों से निपटते हैं जहाँ अधिनियम की प्रकृति के कारण मन :स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है. ऐसे मामलों में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 ही पर्याप्त होगी. हालाँकि, पाक्सो के मामले में मन :स्थिति को साबित करना ज़रूरी है. कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि अपराधी ने किसी बच्चे को प्यार और स्नेह से छुआ था और किसी भी बुरी मंशा से नहीं, बल्कि सभी उचित संदेह से परे. धारा 29 और 30 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं- अनुमेय वर्गीकरण के परीक्षण को पास करने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात्- वर्गीकरण एक समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए जो समूह में शामिल व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से अलग करता है ; अंतर का संबंधित कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए.

मध्य क्षेत्र की डायरी

राजधानी में अपराधी बेलगाम

दिलीप झा

प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. अपराधियों ने रंगपंचमी के एक दिन पूर्व 7 मार्च को रात्रि में श्यामला हिल्स के स्मार्ट सिटी रोड पर अपनी एक्टिवा से लौट रहे दो गुजरात के व्यापारी भाइयों से चाकू की नोंक पर 55 लाख रुपए लूट लिए.

दोनों भाई पॉलीटेक्निक चौराहा से स्मार्ट सिटी रोड होते हुए चूना भट्टी जा रहे थे. इसी दौरान दो एक्टिवा पर आए चार बदमाशों ने उनका पीछा शुरू कर दिया और साइंस सेंटर के पास पहुंचते गुजरात निवासी 27 वर्षीय तारक बरोठे और उनके भाई की गाड़ी रुकवा कर रात करीब साढ़े 9 बजे धमकाया और उनके पास रखा बैग छीन लिया चाकू की नोंक पर 55 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए.

इस घटनाक्रम के बाद व्यापारी वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. हालांकि लूट की घटना के एक सप्ताह बाद पुलिस लुटेरों का सुराग लगाने में सफल हो पाई है. पुलिस ने 12 मार्च को मुंबई से दो और भोपाल से चार आरोपियों को हिरासत में लेकर लूट की रकम की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है लेकिन इस पूरी घटना ने पुलिस प्रशासन की लुंजपुंज कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं

शहर में लगातार हत्या,चाकूबाजी, चैन स्नैचिंग और मोबाइल झपटने की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि प्रदेश में अपराधिक घटनाओं की वृद्धि कैसे नियंत्रित करें.

सूत्र बताते हैं कि अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि हमारे राजनेता अपराधियों को संरक्षण देते हैं. जब बड़े अपराधियों पर पुलिस शिकंजा कसती है तो उनके पक्ष में राजनेता खड़े हो जाते हैं.

एक ही चेहरे से 200 सिम कैसे

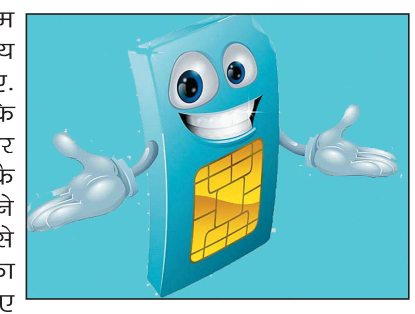

मध्यप्रदेश में एक ही चेहरे 200 सिम कैसे जारी हुए यह चिंता का विषय शासन प्रशासन के लिए होना चाहिए. क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि सिम वितरण में धांधली हुई है और इस तरह की फर्जीवाड़े को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए. फर्जी सिम के माध्यम से संगठित गिरोह की संदिग्ध भूमिका की बात सामने आई है और इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि शासन प्रशासन फर्जी सिम जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि उन्हें सबक मिल सके. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि फर्जी सिम का उपयोग साइबर ठगी, फर्जी कालिंग एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों का संचालन होता है. साइबर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि भोपाल के 11 पीओएस (प्वाइंट आप सेल) एजेंटों का नेटवर्क सक्रिय था. ये एजेंट आपस में तालमेल कर ग्राहकों की पहचान से छेड़छाड़ करते हुए सिम एक्टिवेट कर रहे थे. सिम फर्जीवाड़े का बड़ा खेल भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में चल रहा था.? साइबर पुलिस की जांच शुरू होने की खबर मिलते ही अधिकांश एजेंटों ने सिम जारी करने का काम दिया. हालांकि यह भी सच है कि पूरे प्रदेश में फर्जी सिम का खेल चल रहा है लेकिन इसे बेनकाब करने में साइबर पुलिस भी असफल रही. इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा दूरसंचार विभाग के एआई आधारित निगरानी सिस्टम से हुआ, जिसने सिम जारी करते समय अपलोड की गई तस्वीरों का विश्लेषण कर एक ही चेहरे के बार बार इस्तेमाल का पैटर्न पकड़ा. इसके बाद संदिग्ध डाटा केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से स्टेट साइबर सेल को भेजा गया. जहां से प्रदेश के 33 जिलों में आपरेशन फेस शुरू किया गया है.

शिक्षा प्रणाली में एकरूपता क्यों नहीं !

आखिर एक राष्ट्र एक शिक्षा प्रणाली की नीति सरकार क्यों नहीं ला पा रही ? देश के कई राज्यों की भाषाएं अलग-अलग हैं. यहां का कल्चर भी अलग है और यहां पर रहने वाले लोगों की जरूरत तथा कार्यप्रणाली सभी अलग-अलग है. ऐसी स्थिति में एक ही भाषा या एक ही कल्चर से कैसे काम चलेगा ? तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्य नई शिक्षा नीति-2020 के तहत राज्य मातृभाषा तथा तीन भाषा सूत्र जैसे प्रावधानों का विरोध करते हैं. सामाजिकता, विविधता में केरल उड़ीसा-बिहार की जरूरतें पूरी होना संभव नहीं हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोनों केंद्रीय और स्टेट बोर्डों के पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रणालियां अलग हैं. हर बोर्ड अपने सिलेबस पर काम करता है. सीबीएसई तो जब-तब बदलाव करता है, पर स्टेट बोर्डों में बदलाव कम ही होता है. महत्वपूर्ण बात है सीबीएसई पूरे भारत में एक तरह का ही पाठ्यक्रम रखता है जबकि हर स्टेट का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को महत्व देता है. संभवत: भारत में विभिन्नता का जीवन एक शिक्षा प्रणाली लाने में बाधक है. पूरे देश में जब कहीं से भी सीबीएसई की मान्यता की बात आती है, तो केंद्रीय बोर्ड द्वारा तय मानक के बिना मान्यता नहीं मिलती. परंतु जब स्टेट बोर्ड से मान्यता मांगी जाती है, तो वह आसानी से मिल जाती है. इस बात को भी नहीं भूलना होगा कि देश के आधे सरकारी स्कूलों में इंटरनेट तक नहीं है, जबकि आज कंप्यूटर सबसे पहली शिक्षा सीढ़ी बन चुका है. देश के सरकारी विद्यालयों में कम से कम एक लाख में बिजली नहीं है, पचास हजार से अधिक में पीने का पानी नहीं है, करीब 58 प्रतिशत में कंप्यूटर नहीं हैं, 40 प्रतिशत में खेल मैदान नहीं हैं, लेकिन स्टेट सरकारें हैं कि देश के 4.50 लाख से अधिक प्राइवेट स्कूलों से बराबरी का सपना देख रही हैं. देश में दस लाख से अधिक सरकारी स्कूल हैं लेकिन हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े. अब प्राइवेट स्कूल पढ़ाई के लिए एयरकंडीशनर वाले क्लासरूम, बसें और लग्जरी व्यवस्था के लिए अधिक चर्चित रहते हैं. हां, अगर एक शिक्षा नीति और एक व्यवस्था हो तो शायद प्राइवेट बनाम सरकारी का रोना खत्म हो सकेगा.

-मनोज वार्ष्णेय

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

वैश्विक ऊर्जा संकट और आगे की दिशा

श्रीराम जोशी

प. आशियाई में छिडे हुए युद्ध के बाद वैश्विक ऊर्जा संकट की स्थिति बढ़ती जा रही है. इधर भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग ने देश को नए आपूर्ति संसाधनो पर विचार करने के लिए बाधित किया है. देश की कुल ऊर्जा सब्सिडी रिकॉर्ड स्तर पर है. हाल के वर्षों में, भारत ने खुद को एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु नेता के रूप में स्थापित किया है, 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाने का सरकार का प्रयास है. लेकिन पेट्रोल—डिजल और नेचुरल गैस के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना सरकार की मजबुरी बनती जा रही है.

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को अलग करने और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए डी—कार्बोनाइजेशन उपायों को वित्त पोषित किया जा रहा है. कुल ऊर्जा सब्सिडी में स्वच्छ ऊर्जा सब्सिडी का हिस्सा दस प्रतिशत से कम था, जबकि कोयला, तेल और गैस सब्सिडी का योगदान इससे कई जादा था. शेष सब्सिडी में से अधिकांश बिजली की खपत के लिए थी, खास कर कृषि क्षेत्र में. ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण भारत को कई उपाय करने के लिए प्रेरित किया है. जिसमें जीवाश्म ईंधन का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास भी शामिल है.

गरीब परिवारों की रक्षा करने हेतु केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू तरलीकृत गैस की खुदरा कीमतों को सीमित किया था. लेकिन हाल ही मे प. आशियाई संकट के बाद गैस दरों मे बढ़ोतरी की गई थी. व्यवसायों और उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बजटीय हस्तांतरण प्रदान करना और मौजूदा ऊर्जा आपूर्ति का समर्थन करना सरकार की प्राथमिकता है. औद्योगिक जरूरतों के कारण कोयले की खपत और सब्सिडी बढ़ती जा रही है. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार देश के कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में कोयले का योगदान 45 प्रतिशत से ज्यादा है, जो 2020 में 43त्न था. जीवाश्म ईंधन सब्सिडी स्वच्छ ऊर्जा सब्सिडी की तुलना में पाँच गुना अधिक थी. देश को अगले साल तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रेरित करने का मतलब है कि सरकार सभी प्रकार की ऊर्जा आपूर्ति में निवेश करना जरूरी है. भू-राजनीतिक अस्थिरता देश को जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रही है इसमें कोई दो राय नही है.

स्वच्छ ऊर्जा समाधान स्थायी आर्थिक विकास प्रदान कर सकते हैं और प्रदूषण को खत्म करने और आवश्यक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टि के साथ एक एजेंडा-सेटिंग देश के रूप में भारत के वैश्विक जलवायु नेतृत्व को बहाल कर सकते हैं. केंद्र सरकार अपनी उभरती न्यायसंगत संक्रमण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए अपने जीवाश्म ईंधन कर राजस्व के एक हिस्से को निर्धारित करने पर विचार कर सकती है. भारत को अपने ऊर्जा परिवर्तन को न्यायपूर्ण, टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी राज्यों के स्वामित्व वाले उद्यम इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे. उनके बहुसंख्यक शेयरधारक के रूप में, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन संस्थाओं को जाने वाली सभी नई पूंजी भारत की शुद्ध शून्य प्रतिबद्धताओं से जुड़ी हो.

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 12197

- डॉ. सागर खादीवाला

1	2		3		■	4	5
6		■		■	7		
8		9	■		10		
■	11		12			■	
13	■	14			■	15	16
17		■	18		19	■	
	■	20		■	21	22	
23			■	24			

बाएं से दाएं

1. मनोविनोद, दिल-बहलाव 4. समस्त शब्दों में प्रयुक्त होने वाला, नाक का संक्षिप्त रूप 6. स्वत्व, अधिकार, दावा, उचित या ठीक बात (उर्दू). 7. सुख या आनंद देने वाला 8. लादने का सामान 10. रुकना, ठहरना, वाक्य में वह स्थान जहां बोलते समय कुछ काल ठहरना पड़ता है 11. रात के समय फूलने वाला एक प्रसिद्ध सुगंधित फूल14. सुर्ख, रक्त के रंग का 15. तबले आदि पर हथेली का आघात 17. सेवा करने वाली स्त्री 18. कलाई में पहनने का एक आभूषण 20. वह मकान जिसमें किसी महंत के अधीन अन्य साधु रह सकें, देवालय 21. रुई का पौधा, बिनौलों सहित रुई 23. जिसने गुरु से दीक्षा या मंत्र लिया हो 24. जलाशयों में होने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थों पर लगने वाला कर (सं.)

ऊपर से नीचे

1. प्रासाद, राजा का मकान (उर्दू) 2. नुकीला, पैना, चुभने वाला (उर्दू) 3. उत्पत्ति, पैदाइश 4. नाज, चोचला, बनावटी इनकार 5. एक सदाबहार वृक्ष, डग 7. सुगमता 9. जुकाम 12. जिसका कंठ नीला हो, एक चिड़िया 13. हल्की, वर्षा 16. किसी घर के आसपास का खुला मैदान, मिला-लगा या जुड़ा हुआ 19. अनुकृति, अनुकरण 20. न, नहीं, सम्मति, राय 22. भोजन बनाने की क्रिया, पवित्र

Solution 12196

मौ	स	मे	ब	हा	र	■	स
जू	ती	■	गु	■	सू	र	त
द	■	मा	ला	मा	ल	■	मा
गी	ला	■	भ	र्ग	■	प्या	सा
■	■	ना	ग	■	भो	ला	■
पं	■	श	त	रं	ज	■	कं
च	क	वा	■	ग	प	श	प
म	हा	न	ता	■	त्र	■	न

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष केप्रारंभ में कार्यो की शुरूआत होगी, भूमि भवन आदि का सुख प्राप्त मिलेगा, वर्ष के मध्य में नई योजनाओं पर विचार विमर्श होगा, अधिकारियों के सहयोग से समाज में प्रभाव बना रहेगा, वर्ष के अन्त में आर्थिक कमी केकारण योजनायें वाधित होंगी, शिक्षा में अचानक व्यवधान आयेगा, आकस्मिक यात्रा में व्यय होगा.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को भूमि भवन आदि की प्राप्ति होगी, वृष और तुला राशि के व्यक्तियों की नई योजना पर विचार विमर्श होगा, कर्क और सिंह राशि के व्यक्तियों को कार्यो में व्यवधान आ सकता है, मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को संयम से काम लेना हितकर रहेगा, मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियोंकी आर्थिक उन्नति होगी, धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को निजी कार्यो की रूपरेखा बनेगी.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक स्वस्थ्य सुन्दर हष्टपुष्ट और प्रसन्नचित्त रहेगा. स्वाभिमानी ओर कुशाग्र होगी. समाज में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा रहेगी. साहसपूर्ण कार्यो में रूचि रहेगी. माता पिता का भक्त होगा. धार्मिक भावना सीमित रहेगी.

मेष- भूमि भवन के क्रय-विक्रय से लाभ होगा. उच्चाधिकारियों एवं प्रतिष्ठितजनों से मेलजोल, संपर्क बढ़ेगा. वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखें.

वृषभ- मेहमानों के कारण निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है. किसी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात होगी. मांगलिक कार्य बनेंगे. खर्च अधिक होगा.

मिथुन- आवेश में आकर कोई भी कार्य न करें. उत्खनन के कार्यो में लाभ होगा. जमकरजायजाद से संबंधित विवाद हो सकता है. हितचिंतक की सलाह लें.

कर्क- घर परिवार में किसी उत्सव का सुख मिलेगा. आर्थिक विकास हो सकता है. परिश्रम की अधिकता रहेगी. सम्मान मिलेगा. गलत बदलाव से बचें.

सिंह- वाहन प्रयोग करते समय सावधानी रखें. अनावश्यक विवादों को न बढ़ायें. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा. मनोवांछित कार्य पूर्ण होने से मानसिक प्रसन्नता रहेगी.

कन्या- उच्च अध्ययन पर विचार होगा. संतान की ओर से प्रसन्नता रहेगी. शारीरिक शिथिलता रहेगी. प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद मिलेगी. लाभ होगा.

तुला- नया घर या दुकान खरीदने का मन बन सकता है. निजी कार्यों पर तुरन्त निर्णय लें. परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है. प्रिय सूचना मिलेगी.

वृश्चिक- बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिन्ता रहेगी. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा. परिश्रम एवं लगन से कार्य करें. सफलता मिलेगी.

धनु- युवाओं को बेहतर सफलता मिलेगी. नई जिम्मेदारी आने से परेशान हो सकते हैं. रूके धन की वसूली होगी. अपने कार्यो का गुप्त रखें.

मकर- आकस्मिक लाभ के अवसर मिलेंगे. कार्य कुशलता का विकास होगा. निजी मामलों में व्यस्तता रहेगी. किये गये प्रयास सफल होंगे.

कुम्भ- जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते है. व्यापार में अधिक जोखिम न उठायें. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लाभ होगा.

मीन- आकस्मिक यात्रा करना पड़ सकती है. नवीन कार्य प्रारंभ होगा. शारीरिक शिथिलता रहेगी. अविवाहित को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है.

उदयकालीन ग्रह चाल

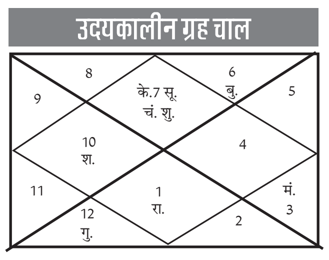

पंचांग

रा.मि. 23 संवत् 2082 चैत्र कृष्ण एकादशी शनिवासरे दिन-रात, उत्तराषाढ़ नक्षत्रे रात 2/51, वरीयान योगे दिन 9/1, वव करणे सू.उ. 6/5, सू.अ. 5/55, चन्द्रचार धनु दिन 7/30 से मकर, शु.रा. 10,12,1,4,5,8 अ.रा. 11,2,3,6,7,9 शुभांक- 3,5,9.

व्यापार भविष्य

चैत्र कृष्ण एकादशी को उत्तराषाढ़ नक्षत्र के प्रभाव से सोना चांदी के भाव में 40 रूपये तक की तेजी होने की संभावना है. तांबा, सूत, उॅनी वस्त्र में कुछ मंदी की संभावना है. गुड़ खांड, शक्कर में स्थिति ठीक रहेगी. वायदा विचार आज दिन पिछले सप्ताह के बने भाव घटें, उसी में स्थिति सुधरेगी. भाग्यांक 9254 है.

SUDOKU 7329

8	2			6			1	
	6		8	9			7	5
3			1					2
	3		4				6	
6		2		1		4		3
	8				5		2	
2					3			1
5	1			7	6		4	
	9			4			3	6

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सु-दोकू 7328

8	6	4	2	7	9	5	3	1
7	3	9	1	8	5	2	6	4
1	5	2	4	3	6	7	9	8
4	1	3	8	6	7	9	5	2
5	8	6	9	2	4	3	1	7
2	9	7	5	1	3	8	4	6
9	4	8	7	5	1	6	2	3
3	7	5	6	4	2	1	8	9
6	2	1	3	9	8	4	7	5